
	<p><b>नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड</b> (भारत सरकारकाउपक्रमलघुस्वत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 &amp; 14001:2004 Company" <b>केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़</b> जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509&amp;223873 ई-मेल : ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p><b>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED</b> (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 &amp; 14001:2004 Company" <b>CENTRAL STATE FARM, SURATGARH</b> Distt:- SriGanganagar <b>Phone : 01509-223873</b></p>	
---	--	---	---

सी.एस.एफ./2-271/जूली/कृषि/सूरत/2021 -

दिनांक: \_\_\_\_\_.

### निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज0) द्वारा फार्म के 3 खण्डों के चकों में विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां जमीनी सतह से काटकर एवं खडे पेड़ों की 10 फुट ऊंचाई तक 6 इंच गोलाई तक की लकड़ी की छंगाई कर कुत्तर बना कर "जहाँ है जैसा है" के आधार पर ले जाने के लिये इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से सीलबन्द निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदाये दिनांक 15.12.2021 को सायं 1.00 बजे तक ली जायेगी और उसी दिन सायं 2.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता को डिमाण्ड ड्राफ्ट/NEFT/RTGS के माध्यम से. रु.236/- निविदा फार्म राशि व रु.15000/- (रु0 पंद्रह हजार मात्र) प्रति चक के हिसाब से धरोहर राशि के रूप में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के पक्ष में जमा करवाना होगा। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाईट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) से भी डाउनलोड की जा सकती है।

सहायक महा प्रबन्धक (उत्पादन)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के तीनों खण्डों के विभिन्न चकों पर खड़ी विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां जमीनी सतह से काटकर एवं खड़े पेड़ों की 10 फुट ऊंचाई तक 6 इंच गोलाई तक की लकड़ी की छंगाई कर कुत्तर बना कर ले जानें हेतु नियम एवं शर्तें।

1. निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व डिमाण्ड ड्राफ्ट/NEFT/RTGS के माध्यम से ₹ 15000/- मात्र प्रत्येक चक के हिसाब से धरोहर राशि के रूप में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के पक्ष में जमा करना होगा, बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निविदादाताओं को अपना स्थायी पता का साक्ष्य (आधार कार्ड), पैन कार्ड व बैंक पास बुक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड अंकित हो को निविदा के साथ संलग्न करनी अनिवार्य हैं।
3. एक ठेकेदार अधिकतम तीन चक हेतु निविदा डाल सकता है।
4. सफल निविदादाता के द्वारा जमा की गई धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जायेगी, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
5. निविदा की उच्च निविदा दर की स्वीकृति/अस्वीकृति एक सप्ताह के अंदर घोषित कर दी जायेगी। निदेशक को बिना कारण बताये किसी एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
6. ठेकेदार को जो उक्त कार्य आवंटित किया गया है, वह दूसरे ठेकेदार को कार्य सबलेट नहीं करेगा तथा उस कार्य क्षेत्र में वह संदिग्ध व्यक्तियों को नहीं रखेगा। उक्त कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधि, जिसको वह कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, उसके हस्ताक्षर मय फोटो अखरे रूपये पचास के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से तस्दीक करवाकर, उसकी मूल प्रति देगा तथा छाया प्रति जोकि वह फार्म पर कार्य के दौरान अपने पास अवश्य रखेगा व कार्य स्थल पर मांगने पर दिखायेगा।
7. विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां जमीनी सतह से काटकर एवं खड़े पेड़ों की 10 फुट ऊंचाई तक 6 इंच गोलाई तक की लकड़ी की छंगाई कर प्राप्त कुत्तर कि दर प्रति क्विंटल देनी होगी, सरकार के द्वारा यदि किसी भी प्रकार का कर इस कार्य पर देय होगा, तो खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।
8. कटाई का कार्य एक सिरे से करना होगा, एवं छोटा-मोटा जो भी जूलीफ्लोरा खड़ा है उसे काट कर कुत्तर बनाकर ले जाना होगा। पूरा कार्य चक इन्चार्ज की देखरेख एवं निर्देशानुसार करना होगा।
9. विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां जमीनी सतह से काटकर एवं खड़े पेड़ों की 10 फुट ऊंचाई तक 6 इंच गोलाई तक की लकड़ी की छंगाई का कार्य चक रोड एवं खाली क्षेत्र में ही किया जाना है। चकों में हुई बीजाई के दृष्टिगत चकों के बीच यह कार्य नहीं होना है।
10. विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां जमीनी सतह से काटकर एवं खड़े पेड़ों की 10 फुट ऊंचाई तक 6 इंच गोलाई तक की लकड़ी की छंगाई कर प्राप्त कुत्तर ले जाना होगा। ठेकेदार को अग्रिम रकम जमा कराकर रिलीज ऑर्डर लेकर ले जाना होगा। अन्तिम रिलीज आदेश से पूर्व 100.00 कुण्टल भार से कम का रिलीज आदेश किसी भी हालात में जारी नहीं किया जायेगा।
11. ठेकेदार को कार्य करने का आदेश मिलने के बाद तुरंत अपने साधन लगाकर कार्य शुरू करना होगा। यह कार्य खण्डप्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा। कार्य का क्षेत्र घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
12. वाहनों को आने जाने के लिये जो रास्ता निर्धारित है ठेकेदार उसी का उपयोग करेगा, वह अलग से कोई रास्ता नहीं बनाएगा। ठेकेदार या उसका आदमी किसी भी प्रकार का झगड़ा/विवाद फार्म कर्मचारी के साथ नहीं करेगा। ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा किसी प्रकार का नुकसान फार्म को किया गया तो उसका सम्पूर्ण जिम्मेवार ठेकेदार ही होगा तथा निदेशक द्वारा लगाया गया दण्ड/जुर्माना, ठेकेदार द्वारा देय होगा।
13. पूरी ट्राली को एक ही दिन में भर कर तौल कर ले जाना होगा। खण्ड-1 के माल का वजन खण्ड-1 के धर्मकार्टे पर और खण्ड-2 व 3 का माल खण्ड-2 के धर्मकार्टे पर करना होगा।
14. कटाई से पूर्व फार्म खाते में धनराशि जमा करवाकर व उचित गेट पास द्वारा ही लकड़ी ले जाने की अनुमति होगी।
15. यदि ठेकेदार कोई अनाधिकृत हरे खड़े वृक्ष को काटता है तो उसे फार्म निदेशक द्वारा निर्धारित जुर्माने का भुगतान करना होगा। ठेकेदार को किसी भी अनाधिकृत पेड़ को काटने के मामलों में काटे गए पेड़ को फार्म संपत्ति के रूप में जमा कराना होगा। तथा पकड़े जाने पर आवंटित कार्य को रद्द करते हुए, ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

16. लडाईं/उतराई आदि के समय कोई दुर्घटना हो जाये तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी, फार्म कतई जिम्मेवार नहीं होगा। ठेकेदार के श्रमिकों के हर प्रकार की जिम्मेवारी जैसे Insurance & Driving License इत्यादि पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी।
17. कार्य का समय सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। कुत्तर को ले जाने हेतु तुलाई का कार्य सायं 5 बजे से पूर्व करना होगा। असामान्य स्थिति में जैसे ट्रैक्टर, ट्राली खराब होने पर निदेशक महोदय की स्वीकृति से समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
18. कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा फार्म संपत्ति का किसी प्रकार का नुकसान किया गया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
19. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
20. ठेकेदार द्वारा यदि कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं किया जाता है अथवा नियम एवं शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसका आवंटित कार्य तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा तथा जमा धरोहर राशि को जब्त कर ली जायेगी और उसका कार्य, उस पर आने वाली लागत खर्च एवं जोखिम दूसरे पार्टी से करवाया जाएगा तथा उसकी भरपाई/वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी और ठेकेदार को संस्था की ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा।
21. वर्क आर्डर जारी होने के बाद कार्य को 5 (पांच) दिनों में शुरू करना होगा अन्यथा आवंटित कार्य रद्द कर अन्य इच्छुक ठेकेदार को दे दिया जायेगा व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
22. वेस्ट मैटिरियल, कॉटे इत्यादि को जलाकर साफ करना अनिवार्य होगा तथा इसके बाद ही आगे कार्य करने दिया जायेगा। फार्म क्षेत्र में कोई पशु नहीं रख सकता।
23. आवंटित कार्य को पूरा करने की अवधि 31.03.2022 तक रहेगी जो कि आपसी सहमति के बाद बढ़ाई जा सकती है।
24. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
25. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 500-00 रुपये का स्टाम्प पेपर अपने खर्चे से खरीद कर, सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य है तथा इसके अनुसार ही कार्य करेगा।
26. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

पार्टी का नाम/हस्ताक्षर

## निविदा - प्रपत्र

निदेशक,  
केन्द्रीय राज्य फार्म,  
सूरतगढ़ (राज0)।

चकों पर विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां जमीनी सतह से काटकर एवं खडे पेड़ों की 10 फुट ऊंचाई तक 6 इंच गोलाई तक की लकड़ी की छंगाई कर कुत्तर बना कर "जहाँ है जैसा है" के आधार पर लेजाने के लिए टेण्डर फार्म

खण्ड—एक	रकम प्रति विंटल रूपयों में जो निविदादाता द्वारा फार्म को दी जानी हैं
BRP-I	
BRP-III	
35STG	
37STG	
38STG	
39STG	
40STG	
41STG	
42STG	
44STG	
<b>खण्ड—दो</b>	
RPM-I	
RPM-II	
RPM-III	
RPM-IV	
31APBN	
31BPBN	
33PBN	
<b>खण्ड—तीन</b>	
34PBN	
3SGM	
4SGM	
5SGM	

टेकेदार के हस्ताक्षर .....

टेकेदार का नाम व पता.....

मोबाईल नं0 .....

सलंगन केश रशीद स0 / राशि / तारीख

.....